

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम, (म0प्र0)

—:आदेश:—

क्रमांक 564/ दो-11-4 / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 27.05.2026

श्री प्रशांत कुमार यादव, भृत्य न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सोहागपुर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद न होने से कार्यालय आदेश क्रमांक 443 दिनांक 22.04.2026 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश की निरंतरता में दिनांक 08.05.2026 से 14.05.2026 तक कुल 07 दिवस का अर्जित अवकाश मय मुख्यालय अनुमति, चेतावनी के साथ इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो, अवैतनिक किया जायेगा।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 06 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ0क0 / दो-11-4 / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 27.05.2026

यथआदेश प्रतिलिपि:—

01. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
02. सिविल जज जूनियर डिवीजन सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं श्री प्रशांत कुमार यादव, भृत्य को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
नर्मदापुरम, (म.प्र.)